



सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984

संदर्भ: हाल ही में, भारत के 22वें विधि आयोग ने "सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट संख्या 284 भारत सरकार को सौंपी है।

- 22वें विधि आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति के चल रहे विनाश से होने वाले भारी नुकसान और अमुविधा को स्वीकार करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की।
- रिपोर्ट में चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 में संशोधन का सुझाव दिया गया है।
- आयोग सार्वजनिक संपत्ति के लंबे समय तक अवरोध के लिए एक अलग कानून या भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता जैसे मौजूदा कानूनों में संशोधन पर विचार करने का भी प्रस्ताव करता है।
- सिफारिशों का उद्देश्य कानूनी ढांचे को मजबूत करना है, जिससे विनाशकारी कृत्यों में शामिल लोगों के लिए त्वरित परिणाम सुनिश्चित करना है।
- **सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984:**

- यह एक ऐसा कानून है, जो सार्वजनिक संपत्ति के खिलाफ शरारत के कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करता है, जिसमें अधिकतम पांच साल की जेल या जुर्माना या दोनों शामिल हैं।
- इसके प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ एकीकृत करने की अनुमति देता है।
- सार्वजनिक संपत्ति की परिभाषा: सार्वजनिक संपत्ति में पानी, प्रकाश, बिजली, ऊर्जा उत्पादन, तेल प्रतिष्ठान, सीवेज कार्य, खदानें, कारखाने, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार और संबंधित संपत्तियों से जुड़ी संरचनाएं और प्रतिष्ठान शामिल हैं।
- **समीक्षा की आवश्यकता और सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप:**
 - सुप्रीम कोर्ट ने कानून की अपर्याप्तताओं को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों के माध्यम से हस्तक्षेप किया है।
 - कानून में बदलाव की सिफारिश करने के लिए न्यायमूर्ति के टी थॉमस और वरिष्ठ वकील फली सैम नरीमन के नेतृत्व में समितियां नियुक्त की गईं।
- **सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देश:**
 - सबूत का बोझ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ स्थानांतरित करना संभव है ताकि अभियोजन पक्ष प्रारंभिक दायित्व वहन कर सके।
 - अपराध की एक धारणा बनाई जा सकती है, और फिर आरोपी इस धारणा का खंडन करने का प्रयास कर सकता है।
 - नुकसान के लिए दंगाइयों को सख्ती से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, साथ ही नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा भी वसूला जा सकता है।
 - उच्च न्यायालयों के पास स्वतः कार्यवाही शुरू करने और विरोध-संबंधी संपत्ति क्षति की जांच करने और मुआवजा देने के लिए तंत्र स्थापित करने का अधिकार है।

Proposed Amendment	Details
Fine Amount to be equivalent to the market value of the property damaged	In the original act, the guilty could be punished with a jail term and a fine. The fine amount was not defined.
Imprisonment of Less than six months only in special cases	It was enough for the court to just record reasons in case the imprisonment awarded was less than six months. Now the court can do it only for special reasons
Introduction of Section 4A (Presumption against accused)	If the prosecution proves that public property has been damaged as a direct consequence of an offence and if the accused participated in that offence, he will be presumed guilty unless he can prove on the contrary.
Introduction of Section 4B (Abetment of mischief)	If public property is damaged in consequence of a bandh/agitation/demonstration etc called by any organization, the office bearers of that organization will be prosecuted for abetment of offence.
Introduction of Section 4C (Punishment for abetment of mischief)	Abetment of mischief as defined above will henceforth be punishable under this act.
Introduction of Section 4D (Videography in Incidents of demonstration)	The incharge of the police station under whose limits a demonstration is happening can make arrangements for videography of the demonstration if he believes that the damage to the public property is likely to be caused. He has to deposit the soft copies of videography with the SDM.
More Stringent Bail Norms	Bail shall now be granted only when there are reasonable grounds to believe that the accused is not guilty of the offence.

दशानिर्देशों का प्रभाव:

- दिशानिर्देशों के बावजूद, चुनौतियां बनी हुई हैं, विशेषकर प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में, विशेषकर नेतृत्वहीन विरोध प्रदर्शनों में।
- दिशानिर्देश, कानून की तरह, प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के बिना सीमाओं का सामना करते हैं।
- **कानून अद्यतन और मामले के संदर्भ के लिए अनुरोध: भारत संघ बनाम कोशी जैकब:**
 - न्यायालयों ने प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कानून को अद्यतन करने की आवश्यकता की मांग की है।
 - कोशी जैकब बनाम भारत संघ के मामले में कानून की कमियों को रेखांकित किया गया था, जहां अदालत के समक्ष विरोध आयोजकों की अनुपस्थिति के कारण याचिकाकर्ता को मुआवजे से इनकार कर दिया गया था।

घर (घर जाओ और पुनः एकजुट हो जाओ) पोर्टल

संदर्भ: NCPCR ने GHAR - GO Home and Re-Unite नामक एक पोर्टल विकसित और लॉन्च किया है, जो बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन पर केंद्रित है।

➤ ट्रेक चाइल्ड पोर्टल:

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में लापता और पाए गए बच्चों पर नज़र रखने के लिए "ट्रेक चाइल्ड पोर्टल" विकसित किया।
- गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन और विभिन्न हितधारकों के समर्थन से कार्यान्वित किया गया।
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं और सलाह जारी की गईं।
- एफआईआर डेटाबेस के साथ लापता बच्चों की अंतरसंचालनीयता और मिलान के लिए सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम) के साथ एकीकृत किया गया।

➤ घर - घर जाओ और पुनः एकजुट हो जाओ पोर्टल:

- NCPCR (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन की डिजिटल निगरानी और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- त्वरित प्रत्यावर्तन के लिए किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों को मामलों के डिजिटल हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।
- इसमें अनुवादकों के लिए अनुरोध करने, प्रगति की निगरानी करने और उचित बहाली और पुनर्वास सुनिश्चित करने की सुविधाएं शामिल हैं।
- स्वदेश वापसी में चुनौतियों की पहचान करने और बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए एक चेकलिस्ट प्रारूप शामिल किया गया है।
- कुल 5175 बच्चों ने स्वदेश वापसी के लिए GHAR पोर्टल पर पंजीकरण कराया।

➤ NCPCR द्वारा जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- NCPCR ने 20 नवंबर, 2022 को GHAR पोर्टल के लिए एक जागरूकता-सह-लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया।
- कार्यक्रम में सभी संबंधित हितधारकों ने भाग लिया।
- एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र जारी कर पोर्टल पर बच्चों का डेटा अपडेट करने का आग्रह किया है।
- GHAR पोर्टल की समझ और उपयोग को बढ़ाते हुए, उत्तर पूर्वी राज्यों में हितधारकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

➤ Khoya-Paaya Portal

- केंद्र सरकार ने लापता बच्चों की रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और जानकारी अपलोड करने के लिए खोया पाया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
- यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) की एक संयुक्त पहल है।
- यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को लापता बच्चों की रिपोर्ट करने, उनके देखे जाने की जानकारी साझा करने और लापता या पाए गए बच्चों की खोज करने में सक्षम बनाता है।

Face to Face Centres






3 February, 2024

- रिपोर्टिंग टेक्स्ट, फोटोग्राफ, वीडियो और सूचना प्रसारित करने और अपलोड करने के अन्य माध्यमों से की जा सकती है।
- वेबसाइट अदालत आदेशों के लिंक प्रदान करती है, जिसमें पुलिस को लापता बच्चों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है, जब तक कि जांच के दौरान साबित न हो जाए, उन्हें अपहरण या तस्करी के रूप में माना जाए।

चंद्रमा का सिकुड़ना और चंद्र भूकंप

संदर्भ: एक हालिया अध्ययन के साक्ष्य से पता चलता है कि चंद्रमा के आंतरिक भाग के धीरे-धीरे ठंडा होने और सिकुड़ने से चंद्रमा पर भूकंप आ रहे हैं तथा भ्रंश बन रहे हैं।

- **चंद्रमा पर भ्रंश सृजन और भूकंप:** एक हालिया अध्ययन के साक्ष्य से पता चलता है कि चंद्रमा के आंतरिक भाग के धीरे-धीरे ठंडा होने और सिकुड़ने से चंद्रमा पर भ्रंश सृजन और भूकंप की घटनाएं हो रही हैं।
- **भ्रंश का स्थान:** कुछ भ्रंश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास, भारत के चंद्रयान-2 मिशन के लैंडिंग स्थल के करीब दिखाई दे रहे हैं।



- **नासा का आर्टेमिस 3 मिशन:** नासा आर्टेमिस 3 मिशन को उसी क्षेत्र में उतारने की योजना बना रहा है जहां ये भ्रंश उत्पन्न हो रहे हैं।

स्थिरता पर प्रभाव:

- मॉडलिंग से संकेत मिलता है कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में जमीन को हिलाने में सक्षम उथले चंद्रमा के झटके मौजूदा भ्रंशों पर फिसलन की घटनाओं या नए श्रस्ट भ्रंशों के निर्माण के कारण संभव हैं।
- युवा श्रस्ट भ्रंश साइटों को सक्रिय कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक चंद्र भूकंप आते हैं और संभावित रूप से नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा स्थायी चौकियों के लिए नियोजित क्षेत्रों की स्थिरता प्रभावित होती है।
- **भ्रंश:** भूविज्ञान में, "भ्रंश" चट्टान के दो विशाल खंडों के बीच टूटे हुए फ्रैक्चर को संदर्भित करता है, जो उन्हें एक-दूसरे से दूर खिसकने में मदद करता है, जिससे भूकंप और भूवैज्ञानिक गतिविधि होती है।
- **भ्रंशों का पता लगाना:** नासा के लूनर रि कॉनसिंस ऑर्बिटर कैमरा ने चंद्र परत में वितरित कई छोटे और युवा श्रस्ट भ्रंशों की पहचान की है।
- **स्कार्स का निर्माण:** ये चंद्रमा की सतह पर तारा-चरणों के समान चट्टान जैसी भू-आकृतियाँ बनाते हैं, जो तब बनती हैं जब संकुचन बल परत को तोड़ते हैं और इसे एक तरफ से दूसरी तरफ धकेलते हैं।
- **संकुचन के कारण:** भ्रंश निर्माण के लिए संकुचन चंद्रमा के आंतरिक भाग के ठंडा होने और पृथ्वी द्वारा लगाए गए ज्वारीय बलों के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक उपग्रह सिकुड़ जाता है।
- **समवर्ती भूकंप:** उथले-गहराई वाले चंद्रमा के भूकंप इन भ्रंशों के साथ आते हैं, जिनमें से कुछ को अपोलो पैसिव सिस्मिक नेटवर्क द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसे आधी सदी पहले अपोलो अंतरिक्ष यानियों द्वारा स्थापित किया गया था।
- **चंद्र भूकंप के प्रकार:**
 - **उथला चंद्र भूकंप:** चंद्रमा के आंतरिक भाग में संरचनात्मक कमजोरियाँ 125 मील की गहराई तक भूकंप जैसी घटनाओं का कारण बनती हैं।
 - **गहरे चंद्र भूकंप:** पृथ्वी से ज्वारीय तनाव चंद्रमा की सतह से 500 से 750 मील नीचे उत्पन्न होने वाले भूकंपों को प्रेरित करते हैं।
 - **उल्कापिंडीय चंद्र भूकंप:** उल्कापिंडों और अंतरिक्ष पिंडों के साथ टकराव से भूकंप आते हैं, जो बाहरी प्रभावों से प्रभावित होते हैं।
 - **तापीय चंद्र भूकंप:** चंद्रमा की सतह अपने 30-दिवसीय दिन-रात चक्र के दौरान 130°C से -173°C तक के तापमान-प्रेरित भूकंपों का अनुभव करती है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट




भारत के प्रधानमंत्री ने ओडिशा में कोयला मंत्रालय के तहत नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में:

- तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ओडिशा के संबलपुर जिले में 2,400 मेगावाट की कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है।
- परियोजना का लक्ष्य देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में योगदान करते हुए विश्वसनीय, सस्ती और निरंतर बिजली प्रदान करना है।
- यह परियोजना ₹3.65 प्रति यूनिट (₹2.40 निश्चित लागत और ₹1.25 परिवर्तनीय लागत) की लागत पर बिजली उत्पादन पर केंद्रित है, जो इसे देश की सबसे सस्ती बिजली उत्पादन परियोजनाओं में से एक बनाती है।
- नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को 553 मिलियन टन के कुल भंडार और 23 मिलियन टन की अधिकतम क्षमता वाली तालाबीरा कोयला खदानें आवंटित की गई हैं।
- यह परियोजना एनएलसीआईएल के कैपिटल कोयला ब्लॉकों से जटिल रूप से जुड़ी हुई है, जिससे स्थिरता और कम परिवहन लागत सुनिश्चित होती है।
- थर्मल पावर प्लांट उच्च दक्षता, कम कार्बन फुटप्रिंट और 10% पर्यावरण-अनुकूल बायोमास सह-फायरिंग पहल का दावा करता है, जो पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देता है।
- ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी ने परियोजना से क्रमशः 800 मेगावाट, 1,500 मेगावाट, 400 मेगावाट और 100 मेगावाट की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं।

Face to Face Centres





<p style="text-align: center;">सुबिका पेंटिंग</p> 	<p>हाल ही में, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने चिंता जताई कि मणिपुर की सदियों पुरानी सुबिका पेंटिंग उपेक्षा के कारण विलुप्त होने के कगार पर है।</p> <p>सुबिका पेंटिंग के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> सुबिका पेंटिंग एक प्राचीन चित्रकला शैली है जिसका उपयोग पुयास (मणिपुर पांडुलिपियों) में किया जाता है और यह मणिपुर में मैतेई समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। सुबिका पेंटिंग शैली को छह जीवित पांडुलिपियों में दर्शाया गया है, जिनमें सुबिका, सुबिका अचोबा, सुबिका लाईशाबा, सुबिका चौदित, सुबिका चेइथिल और थेंगराखेल सुबिका शामिल हैं। सुबिका लाईशाबा दृश्य छवियों के माध्यम से मैतेई सांस्कृतिक परंपरा की प्रत्यक्ष निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है, जो संभवतः मणिपुर में लेखन परंपरा की शुरुआत के बाद से विद्यमान है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 18वीं या 19वीं शताब्दी से सुबिका पेंटिंग का उपयोग हो रहा है, जो रास लीला और नट संगकृतन जैसे अन्य सांस्कृतिक रूपों के साथ-साथ दृश्य कला में मणिपुर की ऐतिहासिक प्रमुखता को दर्शाता है। सुबिका पेंटिंग मैतेई संस्कृति, परंपराओं, लोककथाओं, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित विभिन्न विषयों को दर्शाती है, जो मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। डॉ. युमनम सफा, अन्य सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और विद्वानों के साथ, सुबिका पेंटिंग शैली को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं।
<p style="text-align: center;">मेनक्वोर का पिरामिड</p> 	<p>हाल ही में, मिस्र के अधिकारियों ने मेनक्वोर के पिरामिड को ग्रेनाइट ब्लॉकों से फिर से सतह पर लाने की योजना बनाई है, जो कभी इसके बाहरी हिस्से पर थे।</p> <p>मेनक्वोर के पिरामिड के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> मेनक्वोर का पिरामिड 61 मीटर ऊंचा (200 फुट) पिरामिड है जो मिस्र के काहिरा के दक्षिण-पश्चिमी बाहरी इलाके में गीजा पठार पर स्थित है। यह गीजा नेक्रोपोलिस के तीन मुख्य पिरामिडों में सबसे नवीन और सबसे छोटा है और इसका निर्माण चूना पत्थर और असवान ग्रेनाइट से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड को चौथे राजवंश मिस्र के फिरौन मेनक्वोर की कब्र के रूप में बनाया गया था जिन्होंने 4,000 साल पहले शासन किया था। ग्रेनाइट ब्लॉकों की अधूरी प्रकृति इंगित करती है कि संरचना समाप्त होने से पहले ही मेनक्वोर की मृत्यु हो गई। पिरामिड कभी असवान के गुलाबी ग्रेनाइट से ढका हुआ था, लेकिन अब इसके उत्तरी हिस्से में एक बड़ा छेद है। यह छेद 12वीं शताब्दी में सलादीन के बेटे द्वारा इमारत के अंदर खजाना खोजने की उम्मीद में बनाया गया था।
<p style="text-align: center;">सुर्खियों में व्यक्तित्व</p> <p style="text-align: center;">साधु महर</p>	<p>साधु मेहर (1 जनवरी 1940-2 फरवरी 2024)</p> <p>भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता साधु मेहर का जन्म ओडिशा के बौध जिले में हुआ था।</p> <p>योगदान:</p> <ul style="list-style-type: none"> ओडिया सिनेमा में आने से पहले साधु मेहर ने 1969 में 'भुवन शोम', 'अंकुर' और 'मृगाया' जैसी हिंदी फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था। ओडिया सिनेमा में उनके उल्लेखनीय कार्यों में 'भूखा' (1989) और 'अभिमान', 'अपरिचित', 'अभिलाष' और 'गोपा रे बधुची काला कन्हेई' जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने 1985 में 'बाबुला' नामक बच्चों की पहली विज्ञान कथा (साइंस फिक्शन) उड़िया फिल्म का निर्देशन किया। <p>सम्मान और पुरस्कार:</p> <ul style="list-style-type: none"> साधु मेहर 1974 में श्याम बेनेगल की हिंदी फिल्म 'अंकुर' में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति बने। भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें 2011 में ओडिशा सरकार से जयदेव सम्मान मिला। नैतिक मूल्य: ईमानदारी, करुणा, समर्पण, आदि। 





3 February, 2024

सुर्खियों में स्थल

तंजानिया

हाल ही में फ्रीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने तंजानिया और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान की सराहना की।



तंजानिया (राजधानी: डोडोमा)

अवस्थिति : तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है जो भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है।

राजनितिक सीमाएँ: तंजानिया की सीमा कोमोरो द्वीप समूह और हिंद महासागर (पूर्व), बुरुंडी और रवांडा (पश्चिम), युगांडा (उत्तर), केन्या (उत्तरपूर्व), मोजाम्बिक और मलावी (दक्षिण) और जाम्बिया (दक्षिण पश्चिम) से लगती है।

भौगोलिक विशेषतायें :

- माउंट किलिमंजारो तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी है।
- रुवुमा, रुफिजी, वामी और पंगानी देश की प्रमुख नदियाँ हैं जो हिंद महासागर में गिरती हैं।
- तंजानिया की सीमा अफ्रीका की तीन महान झीलों से लगती है, जिनमें विक्टोरिया झील (अफ्रीका की सबसे बड़ी झील), तांगानिका झील (अफ्रीका की सबसे गहरी झील और मछली की अनोखी प्रजाति के लिए जानी जाती है) तथा मलावी झील शामिल हैं।

POINTS TO PONDER

- राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं? - अनुच्छेद 118
- भारत ने रामसर कन्वेंशन का अनुमोदन कब किया? - 1982
- हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने का निर्णय लिया है? - अर्जेंटीना
- गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए किस राज्य को तीसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? - तमिलनाडु
- एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले की तुलना में ई-इंक डिस्प्ले को लंबे समय तक पढ़ने के लिए आंखों पर आसान क्यों बनाता है? - ये कम नीली रोशनी उत्सर्जित करते हैं

Face to Face Centres

